न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 60/2024 (GCMS No. 2024/68) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ओमप्रकाश उर्फ हरी जौहरी जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली दिनांक 26.02.2024 मुकदमा नं. 33/2023 उनवानी ओमप्रकाश बनाम तहसीलदार सूरौठ।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री महाराजसिंह डागुर, वकील।

नि र्ण य **दिनांक : 07.08.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 26.02.2024 एवं तहसीलदार सूरौठ के आदेश दिनांक 05.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 85 एवं 90 रकवा 0.75 हैक्टे. किस्म गै. मु. चारागाह भूमि पर बाजरा की बुबाई कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सूरौठ के समक्ष पेश की। तहसीलदार सूरौठ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2023 से अपीलार्थी को 03 माह के सिविल कारावास एवं पैनल्टी व बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.02.2024 द्वारा अपीलार्थी की अपील अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया।
3. अपीलांट के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को न तो कोई नोटिस दिया गया ना ही कोई तामील कराई गई। इस तरफा में कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये और साक्ष्य का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विरूद्व है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पीडित व्यक्ति को सुना जाना चाहिए और दण्डित करने में सौहार्द पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। प्रथम बार में वह एकतरफा में तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश देने में विधिक त्रुटि की है। संवत् 2080 से पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नोटिस नहीं दिया और न कोई जानकारी अपीलांट को आज तक कराई।अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा पटवारी हल्का के बयान पर भरोसा कर बिना जिरह का अवसर दिये आदेश पारित किया है। पटवारी की साक्ष्य पढे जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही कभी रहा है। मात्र पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर कब्जा मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी का कब्जा छोड दिया है। कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही फसल बोयी है। अब भी अपीलार्थी कब्जा छोडने के संबंध में न्यायालय श्रीमान में अण्डरटेकिंग देने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 28.02.2024 एवं तहसीलदार सूरौठ का आदेश दिनांक 05.09.2023 निरस्त किये जावें।

5. विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली द्वारा अपीलांट को आराजी ख.नं. 85 एवं 90 रकवा 0.75 हैक्टे. किस्म गै0 मु0 चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से 90 दिवस सिविल कारावास एवं पैनल्टी बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया। उक्त आदेश के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली में अपील पेश की। अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपील अपीलांट खारिज कर दी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में और न ही इस न्यायालय में अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जिससे अपीलांट के राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना माना जा सके। परन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष 50/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि मैने आराजी खसरा नम्बर 85 व 90 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ से अपना कब्जा 1 वर्ष पहले छोड दिया है और अब मेरा कोई कब्जा नहीं है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिक्रमण नहीं करूँगा। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली एवं तहसीलदार सूरौठ के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं कि अपीलांट द्वारा पूर्व में कब–कब अतिक्रमण किया गया तथा कब–कब उसको बेदखल किया गया। उक्त भूमि पर पूर्व में धारा 91 की पटवारी रिपोर्ट एवं बेदखली रिपोर्ट नहीं है। तहसीलदार द्वारा पटवारी के बयान भी दर्ज नहीं किये। मात्र दो पेशियों में निर्णय पारित किया है। एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने पर ही सिविल कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर ही ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया। वर्तमान में न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार कब्जा छोड चुका है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 में बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखते हुये सिविल कारावास के दण्ड को अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 26.02.2024 किया जाता है एवं तहसीलदार सूरौठ का निर्णय दिनांक 05.09.2023 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर बेदखली एवं जुर्माने के आदेश यथावत रखते हुये सिविल कारावास के दण्ड को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर